न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी सी. आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 19/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

ए यु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड। प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. मनोज कुमार पुत्र चिरंजीलाल कालरा ऋणी एवं रहनकर्त्ता
निवासी 152, शेखपुरा रोड़, तहसील व जिला सीकर– 332001, राजस्थान।

यहां भी...
मनोज कुमार
प्रॉपर्टी एट पट्टा नम्बर 31, एट वार्ड नम्बर 3, मौहल्ला धोबियां, तहसील व जिला सीकर– 332001।

2. कंचन कालरा पत्नी मनोज कुमार सहऋणी
निवासी 81, वकील इस्लामुद्दीन की गली, वार्ड नम्बर 32, शेखपुरा, तहसील व जिला सीकर– 332001, राजस्थान।

यहां भी...
कंचन कालरा
निवासी शेखपुरा मौहल्ला, मुसाफिर खाने के पास, तहसील व जिला सीकर–332001 राज.।

3. जयंत पुत्र मनोज कुमार सहऋणी
निवासी 81, मुसाफिर खाने के पास, वार्ड नम्बर 32, शेखपुरा, तहसील व जिला सीकर–332001 राज.।

दीपक चन्द पुत्र दुर्गा बक्श जमानती
निवासी 223, विक्रम स्कूल के पीछे की गली, वार्ड नम्बर 18, तहसील व जिला सीकर– 332007 राज.।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

निर्णय

निर्णय दिनांकः 13-5- , 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुभाष कुल्हरी** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **मनोज कुमार, कंचन कालरा, जयंत, दीपक चन्द** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **प्रॉपर्टी एट पट्टा नम्बर 31, एट वार्ड नम्बर 3, मौहल्ला धोबियां, तहसील व जिला सीकर– 332001 राज. जिसकी नाप 20 वर्गगज मालिकाना हक मनोज कुमार का है एवं जिसकी चारों सीमाएं– पूर्व में स्टोर, पश्चिम में जैन फैमिली की प्रॉपर्टी, उत्तर में गायत्री देवी एवं अन्य की प्रॉपर्टी, दक्षिण में मार्ग है,** को बंधक रखकर **5,00,000**/–रूपये (अक्षरे रूपये **पांच लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहनें पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **08.08.2018** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **08.08.2018** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **मनोज कुमार, कंचन कालरा, जयंत, दीपक चन्द** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक अचल समत्ति **प्रॉपर्टी एट पट्टा नम्बर 31, एट वार्ड नम्बर 3, मौहल्ला धोबियां, तहसील व जिला सीकर– 332001 राज. जिसकी नाप 20 वर्गगज मालिकाना हक मनोज कुमार का है एवं जिसकी चारों सीमाएं– पूर्व में स्टोर, पश्चिम में जैन फैमिली की प्रॉपर्टी, उत्तर में गायत्री देवी एवं अन्य की प्रॉपर्टी, दक्षिण में मार्ग है,** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

Scanned by CamScanner

पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः 13-5-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी. आर. मीना)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner